रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27, 1937
No. 803] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015 /CHAITRA 27, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

का.आ. 1037(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

1	2	3
"8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21ए, सं. 22 [किमी 5.735 से किमी 10.890 और किमी 40.000 से किमी 62.200 (पंजाब/हरियाणा सीमा-हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64, सं. 65, {किमी 5.000 से किमी 241.580 (अंबाला – कैथल – नरवाना – हिसार – हरियाणा/राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर}, सं. 71 [किमी 239.00 से किमी 450.800 (पंजाब/हरियाणा सीमा – जींद – रोहतक - बावल) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 71ए [किमी 0.000 से किमी 80.858 (रोहतक-पानीपत) तक खंड को छोड़कर], नए रारा सं. 709	हरियाणा राज्य सरकार" ।

	का विस्तार [(रारा-9 (नई सं.) पर रोहतक से भिवानी, लोहानी, लोहारू को जोड़ने वाला], सं. 71बी, सं. 72, सं. 73 [किमी 71.640 से किमी 179.285 (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा - यमुनानगर – साहा - बरवाला - पंचकूला) तक खंड को छोड़कर], सं. 73ए, नई सं. 11, नई रारा सं. 54, नई सं. 248ए, नई सं. 334बी, नई सं. 703 **और नई सं. 709ए** के उतने भाग जो हरियाणा राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा. सं. एनएच-14013/11/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 809(अ), तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

S.O. 1037(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"8	So much of National Highways No. 21A, No.22 [excluding from Km. 5.735 to Km. 10.890 and from Km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border-Haryana/Himachal Border)], No. 64, No.65 {excluding from km. 5.000 to km 241.580 (Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Hayana/Rajasthan Border)}, No.71 [excluding from km.239.00 to km. 450.800 (Punjab/Haryana border-Jind-Rohtak-Bawal section)], No. 71A [excluding from km.0.000 to km.80.858 (Rohtak-Panipat), extension of new No. NH 709 (from Rohtak on NH-9 (new number) connecting Bhiwani, Lohani, Loharu), No. 71B, No.72, No.73 [excluding From km.71.640 to km.179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border-Yamunanagar-Saha-Barwala-Panchkula)], No. 73A, new NH No. 11, new NH No. 54, new NH No. 248A, new NH No. 334B, new NH No. 703 **and new NH No. 709A** as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana."

[F. No. NH-14013/11/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot note : The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 809(E), dated the 20th March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.